



प्रेषक,

लाल मणि यादव,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 03 फरवरी, 2026

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2025-26 में मूलभूत सुविधा एवं आवास योजना (एस०सी०एस०पी०) अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से जनपद-देवरिया की 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4160/10/छ:/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20-वैल्यूम-1 दिनांक 05.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मूलभूत सुविधा एवं आवास योजना (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 से विभिन्न जनपदों की विभिन्न निकायों हेतु मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग 18 परियोजनाओं हेतु कुल ₹. 570.880 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात् ₹. 285.440 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-176/2025/2348/69-1-24-1830449 दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2025-26 में **मूलभूत सुविधा एवं आवास योजना (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत** अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित बजट से उक्त जनपदों में जनपद-देवरिया की 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित तालिका में दिया गया है, द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में **₹० 49.025 लाख (रूपये उन्चास लाख दो हजार पांच सौ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/ कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सेन्टेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि। (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देवरिया	न०पा०प०, देवरिया	वार्ड नं 25 में जितेन्द्र सिंह ज्ञानेन्द्र सिंह, रोहित राय के घर होते हुए अरविन्द राय, रोहित त्रिपाठी रामजस यादव के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	98.170	98.11	49.085	49.025
			योग	98.170	98.11	49.085	49.025

(रूपये उन्चास लाख दो हजार पांच सौ मात्र) ।

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकाशित कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।
18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।
20. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) लेखा शीर्षक 2217047890300 मूलभूत नगरीय सुविधाएँ एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)

उपसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **देवरिया।**
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)

उप सचिव।